UPFR050101832019

Small Cause Court suits/1500006/2019

न्यायालय सिविल जज–सी०डि०,फर्रूखाबाद।

SCC No.–6/2019

बिहारी संस्कृत पाठशाला ट्रस्ट

बनाम

हरिमोहन वर्मा

दिनांकः13–08–2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 17A1 पर निस्तारण हेतु बल दिया।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 17A1 इस आशय़ का प्रस्तुत किया गया कि वादी एवं विपक्षी के मध्य आपसी सहमति से समझौता हो गया है। अब कोई कारण वाद शेष नहीं रह गया है। प्रार्थी द्वारा इसी स्तर पर उक्त वाद को निरस्त करने हेतु प्रार्थना की गयी है।

सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से समझौता हो गया है अतः वादी अब उक्त वाद को चलाना नहीं चाहता है। पक्षकारों के मध्य कोई भी विवाद का कारण शेष नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में वादी को उक्त वाद संचालित करने हेतु वाध्य नहीं किया जा सकता है। तदनुसार उक्त वाद वादी को वापस किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थनापत्र 17A1 तदनुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 17A1 निस्तारित किया जाता है। वादी को वाद नियमानुसार वापस हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज–सी०डि०,

फर्रूखाबाद।